

भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं बैंक ऑफ इंडिया का संयुक्त उपक्रम
(एनर्जेटिक अर्थात् बैंक, प्रचुरता वृत्ति, ग्रामीण बैंक एक प्रथम वृत्ति, ग्रामीण बैंक का सम्मेलित बैंक)

सार्वजनिक बिक्री/नीलामी तिथि- 05.08.2025

अचल सम्पत्तियों के लिये सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आरितियों की प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण पत्रा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) सरफेसी अधिनियम 2002साथ में पठित प्रतिभूति हित नियमों, 2002 के नियम 6(2) और नियम 8(6) के अधीन नीलामी सूचना

जैसाकि उक्त कथित सरफेसी अधिनियम 20020 की धारा 13(2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13(2) में पठित नियम 3 के प्रवर्तित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अदोहस्ताक्षरी द्वारा एक मांग सूचना जारी की जिसमें कर्जदारों और गारन्टीदाता(ओं)/ बन्धककर्ता(ओं) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने के लिये कहा गया जैसाकि कर्जदारों और गारन्टीदाता(ओं) मांग सूचना को भुगतान नहीं किया और अतः अदोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13(4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और नियम 6 के तहत प्रवर्तित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति/ सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है जैसा कि अदोहस्ताक्षरी, सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 4 एवं के तहत प्रवर्तित अधिकारों के अनुपालन में कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंक को बकायों की बसुली का प्रस्ताव रखता है। एतद्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदारों और गारन्टीदाता(ओं)/ बन्धककर्ता(ओं) को सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रस्तावित लेनदारों के पास बन्धक/ प्रभारित पडी है, जिसका सांकेतिक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक पूर्ववर्ती आयवर्त बैंक, प्रतिष्ठित लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसे निम्नांकित बकायों की बसुली हेतु निम्नांकित सारणी में अफिमानुसार तिथि को जैसा है जहाँ है, जैसा है जो है और जो है वहीं है के आधार पर बेचा जायेगा। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार(ओं) और गारन्टीदाता(ओं) / बन्धककर्ता(ओं)को सूचनाद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों को लिये बोली/ निविदाएं/कोटेशन आमंत्रित करना का निर्णय लिया है। इसलिए इच्छुक व्यक्तियों/ बोलीदाताओं को 04.08.2025 को या उससे पहले उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित किया जाता है। निविदा 05.08.2025 को दोपहर 1.00 बजे खोली जायेगी।

क्र० सं०	बकायेदार/जमानतदार का नाम	बन्धक सम्पत्ति का विवरण/सम्पत्ति स्वामी का नाम व पता	मंग सूचना की तिथि अधिग्रहण दिनांक/ अधिग्रहण प्रकार	बकाया वनराशि (रु०)	आरक्षित वनराशि/ अग्रिम वनराशि/ (ईएमडी) (रु०)
1	बकायेदार —श्री बलराम पुत्र श्री रामानन्द वि बकाम् निवासी १० के-17 एक रेलवे कालोनी राजेन्द्र नगर उरई जिला- जालानि हाल ११०- आफिस सीनियर सेक्सन इलेक्ट्रीकल इंजीनियर रेलवे स्टेशन धौपुर उत्तरप्रान्त जमानतदार — श्री विजय सिंह पुत्र श्री नरय सिंह निवासी- १०११० 1446 पाण्डेय नगर उरई जिला- जालानि शाखा- नयासुरानगर	सम्पत्ति विवरण मकान -अवासीय मकान श्री बलराम पुत्र श्री रामानन्द विरयकाम् १० तुफूलपुरवा उरई जिला- जालानि। सोल डीड दिनांक 18.01.1999 रजि० न० 74 वही सं 01 जिल्द न० 1056 पेज 353 से 370 एकाअर उरई, जालानि बरफकल- 84 वर्गमीटर या 900 वर्गमीटर चौधदी-(डीड के अनुसार) पूर्व- लाट सुरेश कुमार पश्चिम- लाट मेवालाल वर्मा व देवेन्द्र कुमार उत्तर- रास्ता 12 फिट दक्षिण- मकान मुन्नालाल बार्मीकी	05.12.2024 / 15.05.2025	रु० 335118.21 + ब्याज दिनांक 31.03.2013 से व अन्य खर्च	आरक्षित घनराशि रु० 4,00,00,00.00 / अग्रिम घनराशि (ईएमडी) रु० 40,00,00.00
सांकेतिक कब्जा					
2	बकायेदार —जय श्री महाकाल किराना स्टोर (प्रो अरुण कुमार गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता) निवासी 2511 मोहल्ला इन्दिरा नगर उरई जिला- जालानि 285001 जमानतदार —1. श्रीमती शिखा गुप्ता पत्नी श्री अरुण कुमार गुप्ता निवासी मोहल्ला इन्दिरा नगर उरई जिला- जालानि 2 74 वर्गमीटर चौधदी- (डीड के अनुसार) पूर्व- मकान गंगा प्रसाद यादव पश्चिम- रास्ता 9 फिट उत्तर- लाट राजगुप्त जी सुरमिलिया वाले दक्षिण- मकान श्री नरुद	सम्पत्ति विवरण -अवासीय लाट श्रीमती शिखा गुप्ता पत्नी श्री अरुण कुमार गुप्ता निवासी मोहल्ला इन्दिरा नगर उरई जिला- जालानि 285001 दिनांक 07.11.2016 रजि० न० 9622 वही सं 01 जिल्द न० 5644 पेज 191 से 220 एकाअर उरई, जालानि बरफकल- 65.32 वर्गमीटर या 703.12 वर्गफीट चौधदी-(डीड के अनुसार) पूर्व- मकान गंगा प्रसाद यादव पश्चिम- रास्ता 9 फिट उत्तर- लाट राजगुप्त जी सुरमिलिया वाले दक्षिण- मकान श्री नरुद	05.09.2024 / 24.12.2024	रु० 306954.29 + ब्याज दिनांक 21.08.2024 से व अन्य खर्च	आरक्षित घनराशि रु० 4,11,00,00.00 / अग्रिम घनराशि (ईएमडी) रु० 41,10,00.00
सांकेतिक कब्जा					

- बिक्री के नियम एवं शर्तः**
- इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। पैना कार्ड व फोटो पहचान पत्र के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्टता और पठनीय बोली कम से एक एवं प्रकाशन की तिथि वगैरि होनी चाहिए।
 - बोलीदाताओं को बोली के साथ जामिन में उरई में देयवयग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के पट्टा में डीडी/ बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत जमा/ संतुलन करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिये) को सफल बोली दाता के रूप में माना जायेगा। और शेष सफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
 - सफल बोलीदाता को डीडी/ बैंकर्स चेक के रूप में एरसी दिन / अगले दिन बोली रकम (ईएमडी शामिल रहेगा) का 25 प्रतिशत जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जायेगी।
 - प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारणबताए या पूर्व सूचना बिना बोली/ सौच्य बोली को स्वीकार/ अस्वीकार/ ख़/ निलम्बित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री/ नीलामी की तिथि बढाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
 - प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों/ देवदारियों/ भार/ करों/ सरकारी बकायों और अन्य फस के दवावों व बकायों को लिए जवाबदेह नहीं होंगे।
 - सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जायेगा। सफल बोलीदाता को सौदा सम्पन्न शिल्क एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा।
 - सफल नीलामी के लिए स्ट्याम्प शुल्क पंजीकरण शुल्क, सम्पत्ति कर या राज्य सरकार को देय राशि आदि का जमानत स्वयं करना होगा।
 - बोली/ बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को जैसा है जहाँ है जैसा है जो कुछ है और वहा जो कुछ भी है अद्यार पर बेचा जा रहा है।
 - यह बोलीदाताओं की एकाअर जिम्मेदारी है कि ये सम्पत्तियों के सम्बन्ध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। ये अपरहा 12.00 बजे से 4.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस पर सम्बन्धित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख/ निरीक्षण कर सकते हैं।
 - यह बिक्री नोटिस कर्जदारों/ गारन्टीदाता/ बन्धककर्ताओं के लिये विशेष रूप से जनता/ सर्वसाधारण के लिए सामान्य रूप से है।
 - बिक्री के विरुद्ध नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रस्तावित लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किया गये लिंक या निम्नलिखित वेबसाइट/द्वारा देख पर देखें।
 - उधारकर्ता/ गारन्टीदाता/ बन्धककर्ता को नियम 6(2)एक(6) के सिक्वॉरिटी इन्स्ट्रुमेंट (इन्फोर्मेशन)नियम 2002 के तहत 30 दिन की बिक्री सूचना -इस नियम 6(2) एवं 8691 सिक्वॉरिटी इन्स्ट्रुमेंट इन्फोर्मेशन नियम 2002 के तहत बन्धककर्ता/ गारन्टर को नोटिस समझा जाए, उनके वर्णित त्रुटि के सम्बन्ध में उपरोक्त दिनांक को नीलामी होगी। कर्जदारों/ गारन्टीदाताओं/ कानूनी वारिसों/ बन्धककर्ताओं को सूचना सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकायों का भुगतान करके अगर वे ऐसा नहीं करते के है तो बन्धक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जायेगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो ऐसे उचित ब्याज प्रभारों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।

प्राधिकृत अधिकारी
उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

मुकदमाती मामलों में व शम्भूदाहन थाणों के बाहर रुइहें हैं, जर्जर वाहनों के नई हुई नीलामी

लापरवाही: थाना-चौकी के बाहर खड़े वाहन दे रहे हादसों को दावत

लिविड



अज्ञेय वाहनों को पार्किंग इलाके से बाहर खड़े कर दिया गया

मुकदमाती वाहनों से लेकर रहे मकदर पकड़े
मुकदमाती मामलों में व शम्भूदाहन थाणों के बाहर रुइहें हैं, जर्जर वाहनों के नई हुई नीलामी

एक वाहन में 15

● हनुमान - 15

शेल्टर होम में नदारद मिले कर्मचारी, नोटिस जारी

नियंत्रण



शेल्टर होम में नदारद मिले कर्मचारी, नोटिस जारी

कोशीबिघटना की कारापीवीआई जॉय

नियंत्रण



कोशीबिघटना की कारापीवीआई जॉय

नाली को लेकर दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, तीन घायल

नियंत्रण



नाली को लेकर दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, तीन घायल

नाली को लेकर दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, तीन घायल

नाली को लेकर दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, तीन घायल

नाली को लेकर दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, तीन घायल

नाली को लेकर दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, तीन घायल

नाली को लेकर दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, तीन घायल

नाली को लेकर दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, तीन घायल

नाली को लेकर दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, तीन घायल

नाली को लेकर दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, तीन घायल

आरक्षियों के प्रशिक्षण में कमी न रहे: डीआईजी

नियंत्रण



आरक्षियों के प्रशिक्षण में कमी न रहे: डीआईजी

आरक्षियों के प्रशिक्षण में कमी न रहे: डीआईजी